परिशिष्ट-अ

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 25/7/2014

क्रमांक/एफ– 1–6/2011/22/पं–1 राज्य शासन द्वारा जारी ग्राम पंचायत सचिव की स्थानान्तरण नीति 18 जून 2013 एतद् द्वारा अधिक्रमित करते हुए नवीन स्थानान्तरण नीति निम्नानुसार जारी की जाती है :–

1. जिले में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों के शतप्रतिशत स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर 01 अगस्त 2014 से 20 अगस्त 2014 की अवधि में किए गए जाएंगे। किन्तु पैतृक ग्राम पंचायत में किसी सचिव को पदस्थ नहीं किया जाएगा।

2. ग्राम पंचायत सचिव का स्थानान्तरण कार्यरत जनपद पंचायत के भीतर ही निकटस्थ ग्राम पंचायत में किया जाएगा।

3. स्थानान्तरण आदेश जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन उपरात मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किए जाएंगे।

4. यदि पति–पत्नी दोनों ग्राम पंचायत सचिव है तो दोनों को आस–पास नजदीकी ग्राम पंचायतों में पदस्थ किया जाए।

5. निशक्त, विधवा/परित्यक्ता और गंभीर बीमारी जैसे :– कैंसर, हृदय रोग, किडनी आदि से पीडित व्यक्ति को गृह निवास की सीमा से जुडी ग्राम पंचायत में स्थानान्तरित किया जाए।

6. जिले के भीतर एक जनपद पंचायत से अन्य जनपद पंचायत में दोनों जनपद पंचायत की सहमति से ग्राम पंचायत सचिव का स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

7. यदि किसी सचिव का रिश्तेदार ग्राम पंचायत का सरपंच या पंच हो जाता है तो सचिव का स्थानान्तरण अन्य ग्राम पंचायत में अनिवार्य रुप से कर दिया जाए।

8. ग्राम पंचायत सचिव के स्थानान्तरण/निरस्तीकरण/संशोधन आदेश प्रशासकीय हित में विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत आयुक्त, पंचायत राज म0प्र0 द्वारा कभी भी किए जा सकेंगे।

9. स्थानान्तरण आदेश उपरांत संबंधित सचिव, ग्राम पंचायत के सहायक सचिव अर्थात **ग्राम रोज़गार सहायक** को प्रभार सौंपकर तीन दिवस में अनिवार्य रुप से भारमुक्त होंगे तथा नवीन पदस्थापना वाली ग्राम पंचायत में अपनी उपस्थिति लिखित में देगें और एक प्रति संबंधित जनपद पंचायत को सरपंच के माध्यम से भेजेगें।

(अरुणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म0प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश

पृष्ठां.कमांक / एफ– 1–6 / 2011 / 22 / पं–1 भोपाल, दिनांक 25/7/ 2014

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सचिव, मा. मंत्री जी / राज्यमंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. समस्त, अध्यक्ष जिला / जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।

---

1. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. आयुक्त, आदिवासी मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर जिला समस्त मध्यप्रदेश।
6. निदेशक (पंचायिका) मध्यप्रदेश माध्यम अरेरा हिल्स भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया संबंधित आदेश की प्रति अपने स्तर से जिलान्तर्गत समस्त जनपदों / ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर सचिव
म0प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग